**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 2949**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**त्रिपुरा के जनजातीय लोगों हेतु पृथक राज्य**

**2949. श्री रीताब्रता बनर्जीः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि सरकार त्रिपुरा के जनजातीय लोगों हेतु पृथक राज्य का गठन करने के लिए इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) की मांग की जांच करने के लिए उच्‍चस्तरीय निगरानी समिति का गठन कर रही है;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

**(**क): जी, नहीं।

(ख): उपर्युक्‍त (क) के आलोक में, प्रश्‍न नहीं उठता है।

(ग): नए राज्‍यों के सृजन के लिए विभिन्‍न व्‍यक्तियों तथा संगठनों से समय-समय पर मांगें एवं अभ्‍यावेदन प्राप्‍त होते रहे हैं। नए राज्‍य के सृजन में विस्‍तृत जटिलताएं निहित होती हैं तथा इसका देश की संघीय व्‍यवस्‍था पर प्रत्‍यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस मामले में भारत सरकार तभी आगे बढ़ती है, जब मूल राज्‍य में व्‍यापक आमसहमति होती है। सरकार, नए राज्‍यों के गठन के मामले पर सभी प्रासंगिक घटकों को ध्‍यान में रखते हुए निर्णय लेती है।

**\*\*\*\*\*\***